माननीय जस्टिस (सेवानिवृत्त) आई. एस. इसरानी की अध्यक्षता में गठित प्रवेश निगरानी समिति की बैठक दिनांक 30.08.2014 को अपराह्न 3:00 बजे आयोजित की गई बैठक का कार्यवाही विवरण

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए:–

1. श्री जे. सी. महान्ति, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, सदस्य सचिव,
2. डॉ. राजा बाबू पंवार, कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर, सदस्य,
3. डॉ. एस. एम. शर्मा, प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर, सदस्य,
4. डॉ. पी. के. गुप्ता, पूर्व डीन, झालावाड मेडिकल कॉलेज, सदस्य

मीटिंग में निम्न लिखित बिन्दुओं पर चर्चा एवं निर्णय लिए गए:–

एजेण्डा संख्या:– 1

प्रवेश निगरानी समिति की गत बैठक दिनांक 20.03.2014 में लिए गए निर्णय के अनुसार एजेण्डा संख्या 5 पर किन्ही निजी दंत महाविद्यालयों के द्वारा वर्ष 2012 में दिए गए प्रवेशों को नियमित करने का प्रकरण विचाराधीन था। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं/ अपीलों के मध्यनजर कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि अनियमित प्रवेशित छात्रों जिनकी परीक्षा विश्वविद्यालय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में ली गई है, का परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं/अपीलों के निर्णयाधीन घोषित कर दिया जावे।

प्रकरण में प्रवेश निगरानी समिति की बैठक दिनांक 20.03.2014 के एजेण्डा संख्या 5 के कार्यवाही विवरण के अनुसरण में माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 21.08.2013 की पालना में याचिकार्थी कॉलेजों के छात्रों की ली गई परीक्षा का परिणाम रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अध्यधीन घोषित करने के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त निर्णय के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.03.2014 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार अब वर्तमान में न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। अतः प्रवेश निगरानी समिति के निर्णय के क्रम में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को उक्त संदर्भित छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए निर्देशित किया गया।

Justice I.S. Israni
Chairman

J.C.Mohanty
Pr Secy (ME)
Member Secretary

उक्त संदर्भ में प्रभावित निजी दन्त महाविद्यालयों द्वारा इन छात्रों को नियमित किये जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। समिति में प्रकरण इस संदर्भ में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय

प्रकरण के तथ्यों के अनुसार प्रश्नगत प्रवेशों में प्रकियागत अनियमितता किए जाने के कारण उक्त प्रवेश अनियमित है। लेकिन प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों के कम में छात्रों के द्वारा प्रथम वर्ष बी.डी.एस. की परीक्षा दी जा चुकी है तथा कमेटी के पूर्व निर्णय के कम में उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है, माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाऐं याचिकार्थीगण के द्वारा वापिस लिए जाने पर खारिज की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में वे छात्र जिनके द्वारा दो वर्ष का अध्ययन कर लिया गया है, के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों की रोशनी में समिति के द्वारा निम्न निर्णय लिए गए:–

(1) राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को उक्त छात्रों को बी.डी.एस. कोर्स की आगे की परीक्षाओं में भाग लेने व परिणाम जारी करने हेतु अनुमति दिए जाने हेतु निर्देशित किया जावे।

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत 4 दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के द्वारा दिए गए प्रवेश सर्वथा अनियमित है, जिसका नियमितिकरण संभव नहीं है। अतः इनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करना आवश्यक समझते हुए भारतीय दंत परिषद को उक्त कॉलेजों में आगामी दो वर्षों के लिए बी.डी.एस. कोर्स में प्रवेश पर रोक लगाई जाने के लिए लिखा जावे।

उक्त निर्णय से कॉलेज प्रबंधन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन के लिए पृथक कार्यवाही से उन्मुक्त नहीं होगा।

Justice I.S. Israni
Chairman

J.C.Mohanty
Pr Secy (ME)
Member Secretary

एजेण्डा संख्याः– 2

विषयः– वर्ष 2014 में निजी महाविद्यालयों में किए गए प्रवेशों पर निगरानी हेतु की गई आब्जर्वर्स की नियुक्ति का अनुमोदन।

कमेटी की पूर्व मीटिंग दिनांक 20.03.2014 के एजेण्डा संख्या 3 पर लिए गए निर्णय के अनुसार निजी चिकित्सा /दंत महाविद्यालयों में वर्ष 2014:15 में किए गए प्रवशों पर निगरानी के लिए कमेटी के द्वारा पर्यवेक्षण समिति का गठन करने तथा पर्यवेक्षण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे। उक्त निर्णय के कम में निम्नानुसार पर्यवेक्षण समितियों का गठन किया गया थाः–

उदयपुरः–

1. प्रशासनिक विभाग का प्रतिनिधि	1. डॉ. सुनील भटनागर, विशेषाधिकारी चि.शि. 2. डॉ. सुरेश चन्द सोनी, उपनिदेशक चि.शि.
3. जिला प्रशासन का प्रतिनिधि	श्री संदीप अरोडा, ए.एस.ओ., उदयपुर।
4. जिला पुलिस प्रशासन का प्रतिनिधि	श्री लाभू राम, सी.आई., मानव तस्करी, उदयपुर।
5. एक अन्य व्यक्ति उपरोक्त सदस्यों की सलाह पर	1. डॉ. कीर्ति सिंह, सह आचार्य पी.एस.एम., आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर। 2. डॉ. रूपा शर्मा, सह आचार्य, पी.एस.एम., आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।

पर्यवेक्षण समितियों की नियुक्ति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

समिति के द्वारा पर्यवेक्षण समितियों की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।

I.S. Israni

Justice I.S. Israni
Chairman

J.C.Mohanty
Pr Secy (ME)
Member Secretary

एजेण्डा संख्याः– 3

विषयः– आब्जर्वर्स के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करना।

कमेटी की पूर्व मीटिंग दिनांक 20.03.2014 के एजेण्डा संख्या 3 पर लिए गए निर्णय के कम में नियुक्त आब्जर्वर्स के द्वारा समय समय पर पर्यवेक्षण का कार्य सम्पादित कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट्स कमेटी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

रिपोर्ट्स की प्रति का कमेटी के द्वारा अवलोकन किया गया।

कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया कि काउन्सिलिंग उपरान्त रिक्त रही सीटों एवं वेटिंग लिस्ट को तुरन्त वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावे एवं वेटिंग लिस्ट से प्रवेश आब्जर्वर्स की निगरानी में किए जावे।

प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज जयपुर, डॉ. पी. के. गुप्ता, पूर्व डीन, झालावाड मेडिकल कॉलेज, एवं डॉ. सुनील भटनागर, विशेषाधिकारी चिकित्सा शिक्षा, फेडरेशन के प्राधिकारियों से निम्न बिन्दुओं पर वार्ता कर अपनी रिपोर्ट कमेटी को प्रस्तुत करेंगेः–

1. पूर्ण गोपनीयता के साथ प्रश्न पत्र तैयार करने की विधि विकसित की जावे,
2. परीक्षा आयोजन के लिए लीकप्रूफ एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाई जावे,
3. परीक्षा आयोजन के केन्द्र एक से बढाकर दो अथवा तीन किये जावे जिसमें जयपुर एवं कोटा को सम्मिलित किया जावे।

मीटिंग आसन को धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

I.S. Israni

Justice I.S. Israni
Chairman

J.C.Mohanty
Pr Secy (ME)
Member Secretary